

कार्यालय जिला रसद अधिकारी, दूदू

क्रमांक/रसद/6 ए/2024/56

दिनांक 8/4/2024

-:सार्वजनिक नीलामी सूचना:-

आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत जब निम्न सामग्री को माननीय जिला कलक्टर न्यायालय, दूदू के निर्णय के क्रम में खुली बोली द्वारा जहां है जैसा है के आधार पर नीलामी कमेटी द्वारा निम्नलिखित स्थान पर प्रातः 11:00 बजे विक्रय किया जाना है। इच्छुक खरीददार निर्धारित धरोहर राशि नगद अथवा जिला रसद अधिकारी, दूदू के नाम से डीडी नीलामी समय से पूर्व जमा करवाकर नीलामी में भाग ले सकते हैं :-

प्रकरण संख्या	नाम वस्तु एवं मात्रा	न्यूनतम बोली	माल का अनुमानित मूल्य (लाख में)	बयाना राशि 2 प्रतिशत	नीलामी तिथि व स्थान
73/2024 दिनांक 01.03.2024 थाना मौजमाबाद	12500 लीटर	90.19 रु प्रति लीटर	11.27	22540 रूपये	दिनांक 01.05.2024 पुलिस थाना मौजमाबाद

- नीलामी की शर्तें विभाग की वेबसाईट <http://www.food.raj.nic.in> तथा <http://www.sppp.raj.nic.in> पर देखी जा सकती है एवं नीलामी की शर्तों को कार्यालय समय में जिला रसद कार्यालय, दूदू में भी देखा जा सकता है।
- नीलामी से संबंधित किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी कार्यालय समय कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
- नीलामी से संबंधित योग्य सामग्री का नमूना संबंधित पुलिस थाने में देखा जा सकता है।

Sonal Jais

सौरभ जैन
(जिला रसद अधिकारी)

दूदू

दिनांक 8/4/2024

क्रमांक/रसद/6 ए/2024/56

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव, खाद्य विभाग, जयपुर।
- श्रीमान् अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य विभाग, जयपुर।
- श्रीमान् वित्तीय सलाहकार महोदय, खाद्य विभाग, जयपुर।
- श्रीमान् जिलाकलक्टर महोदय, दूदू।
- श्रीमान् अति. जिला कलक्टर महोदय, दूदू।
- जिला रसद अधिकारी, दौसा।
- कोषाधिकारी, कोष कार्यालय दूदू।
- थानाधिकारी पुलिस थाना, मौजमाबाद तहसील को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि नीलामी के समय निर्धारित स्थान पर उपस्थित रहेंगे एवं नीलामी में रखा गया माल समिति को सुपुर्द करेंगे।
- प्रोग्रामर, खाद्य विभाग, जयपुर को खाद्य विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।

Sonal Jais

जिला रसद अधिकारी

दूदू